

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।
पत्रांक: 2605 / 14-1 मथुरा: दिनांक: 21/01/2018.

सेवा में,

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,
85/4 इरपात भवन, तृतीय मंजिल,
सजय प्लेस, आगरा-282002

विषय-

जनपद मथुरा में मथुरा-वृन्दावन-मांट-नौहडली मार्ग (एमडीआर-123) के चैनज 30.882 के दौयी और ग्राम सुरीरकला बांगर के खसरा सं०-1025 खाता सं०-627 में एच०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.049172 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पालन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ-

विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2, लखनऊ की पत्र संख्या-2974/14-2-017800(123)/2017, दिनांक 19.01.2018 (प्रतिलिपि संलग्न है ।

महोदय,

उक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जनपद मथुरा में मथुरा-वृन्दावन-मांट-नौहडली मार्ग (एमडीआर-123) के चैनज 30.882 के दौयी और ग्राम सुरीरकला बांगर के खसरा सं०-1025 खाता सं०-627 में एच०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.049172 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पालन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की सैद्धान्तिक स्वीकृति के कम में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चार-चार प्रतियों में अनुपालन रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

- 1 यह कि बिन्दु संख्या-1 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लैन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाइड लाइन दिनांक 24.7.2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान हेतु आधार का पालन किया जायेगा ।
- 2 यह कि बिन्दु सं०-2 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाए उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित सहित किया जायेगा ।
- 3 यह कि बिन्दु सं०-3 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x1.5 मी०) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त किया जायेगा ।
- 4 यह कि बिन्दु सं०-4 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग, सेप्रेटर आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त, स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (आदि लागू हो) के अतिरिक्त किया जायेगा ।
- 5 यह कि बिन्दु सं०-5 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वनभूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.049172 हे० से अधिक में प्रयोग नहीं किया जायेगा ।
- 7 यह कि बिन्दु सं०-7 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सि०) संख्या-202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी । तदोपरान्त पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाय, तत्पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा ।

8. यह कि बिन्दु सं०-8 के क्रम में प्रस्तावित परियोजना की एन०पी०वी० की धनराशि गु०-30,782.00 रु० की धनराशि तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में ऑन लाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा कराया जाना आवश्यक होगा।
9. यह कि बिन्दु सं०-9 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
11. यह कि बिन्दु सं०-11 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस-पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फाना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।
12. यह कि बिन्दु सं०-12 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रत्यावर्तित वनभूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षक) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा।
13. यह कि बिन्दु सं०-13 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर की धनराशि जमा की जाएगी।
14. यह कि बिन्दु सं०-14 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहें। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भी की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहें, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति पर वापस हेतु बचनबद्धता दी जाती है।
15. यह कि बिन्दु सं०-15 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007/एफ०सी०(पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या-जे-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से लागू होने की स्थिति में अलग से प्राप्त की जाएगी।
16. यह कि बिन्दु सं०-16 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक होगा, का अनुपालन किया जाएगा।
18. यह कि बिन्दु सं०-18 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भुगतान किया जाएगा।
19. यह कि बिन्दु सं०-19 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टड एरिया के बाहर अवस्थित हैं। यदि प्रश्नगत भूमि सैन्युरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा० उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करली जाएगी।
17. यह कि बिन्दु सं०-17 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय अनुश्रवण के प्राप्त करनी होगी।
22. यह कि बिन्दु सं०-22 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
23. यह कि बिन्दु सं०-23 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा० उच्चतम न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा करना आवश्यक होगा।
24. यह कि बिन्दु सं०-24 के क्रम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11.07.2014 व 21.08.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जाएगा।

25. यह कि बिन्दु सं०-24 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में उपलब्ध कराया जाएगा ।
26. यह कि बिन्दु सं०-25 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय कार्यालय, लखनऊ के परिपत्र संख्या-एफ०एन० संख्या-11-268/2014-एफसी, दिनांक 11.07.2014 में नये दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना का ले-आउट प्लान प्रस्तुत किया जाएगा ।
27. यह कि बिन्दु सं०-27 के कम में मु०-201400.00 रु० की क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 10 वर्षों के रखरखाव सहित प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में ऑन लाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया जायेगा ।
28. यह कि बिन्दु सं०-28 के कम में यह बचनबद्धता उपलब्ध कराई जाए कि प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होंगे, का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा ।

भवदीय,


 प्रभागीय निदेशक,
 सामाजिक वानिकी प्रभाग,
 हिममधुरा, वानिकी प्रभाग,
 मथुरा

शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मथुरा जनपद में मथुरा-वृन्दावन-मांट-नौहड़ील मार्ग (एम0डी0आर-123) के (चैनेज 30.882) कि0मी0-31 में स्थित ग्राम-सुरीरकलौ बोंगर, तहसील-मांट, जिला-मथुरा के खसरा संख्या-1025 खाता संख्या-627 में सड़क दौयी ओर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग के निर्माण में 0.049172 है0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी उपयोग में हस्तान्तरित की जाने वाली संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) जो वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा उसका भुगतान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, 85/4, इस्पात भवन, तृतीय मंजिल, संजय प्लेस आगरा के द्वारा वन विभाग को कर दिया जायेगा। जिसका ऑकलन निम्नवत् है। यदि भविष्य में दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बढ़ी हुई दरों पर भुगतान किया जायेगा। प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.1 तथा खुले वन क्षेत्र से आच्छादित है।

(क) प्रभावित वन भूमि	0.049172 Ha.
(ख) एन0पी0वी0 की धनराशि (0.049172x626000)	30781.67 Or Say 30782.00 (रु0 तीस हजार सात सौ बियासी मात्र)

राकेश गुप्ता 16/6/2017
(राकेश गुप्ता)

मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक,
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,
85/4 इस्पात भवन, तृतीय मंजिल, संजय
प्लेस, आगरा।

राकेश गुप्ता
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
85/4, इस्पात भवन, तृतीय मंजिल
संजय प्लेस, आगरा-282002

प्रतिहस्ताक्षरित

(मनीष मिश्रा)

प्रभारी निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा।

मथुरा
16/6/2017

जनपद मथुरा में मथुरा कुन्दान नगर गौतमीय मार्ग (एम्पाटीआर 123) के (मैनेज 30802 कि०मी०) वि०मी० 31 में स्थित ग्राम सुरीरकली बीगर, तहसील मथुरा जिला मथुरा के स्वयंसेवक संख्या 1025 खाता संख्या 627 में सड़क के दोरी ओर पर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (डीजल/पेट्रोल पंप) सम्पर्क मार्ग के निर्माण में 0040172 टेंड सरफित वनगुनि प्रमाणित होती, के सम्बन्ध में बरीत खादर वन ब्लक में 100 पीपों के प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित प्रायकलन

प्रथम चरण (अधिम मृदा कार्य)					
क्र. सं.	कार्य का विवरण	मात्रा/संख्या	इकाई	दर	घनराशि
1	2	3	4	5	6
1	न-क को सफाई करना	0.5	प्रति हे०	10000	5000
2	सड़क व सीमांकन	0.5	प्रति हे०	48.71	24.355
3	पीप व दलान	100	प्रति मटर	0.31	31.00
4	मृदा परीक्षण	0.5	प्रति हे०	250	125
5	मृदा खुदान कार्य (0.60x0.60x0.60)	100	प्रति मटर	17.4	1740
6	तारबाह केतु सामग्री				
	अ- आउसीसीसी संख्या का मूल्य मस कर साहित (1.5x0.10x0.80मी०)	100	प्रति मृ०	404.00	40400.00
	ब- कटेदार तार का मूल्य (६ लंबे)	3.33	प्रति मृ०	8489.20	28269.04
7	अन्य व्यय				551.30
				योग:-	76140.69
द्वितीय चरण (पुनरावेषण कार्य)					
1	मृदा को न मसान	100	प्रति	1.39	139.00
2	मृदा को/मालको हेतु मृदा सुधारक/गोबर की खाद का प्रयोग	100	प्रति	9.92	992.00
3	पीप वन मूल्य (३ प्रतिशत अतिरिक्त पीप)	103	प्रति	70.00	7210.00
4	तारबाह कार्य				
	अ- आउसीसीसी संख्या की मालकी 631 सीमेन्ट कंक्रीट	100	प्रति	196.00	19600.00
	ब- संख्या वन स्थानीय दलान	100	प्रति	3.28	328.00
	स- तार की रिवाई	200	प्रति	0.85	170.00
5	पीपों का दलान (३ प्रतिशत अतिरिक्त पीप) 10-20 कि०मी०	103	प्रति	17.40	1792.20
6	पीपों का स्थानीय दलान	100	प्रति	5.91	591.00
7	पीपारोपण, खाता बनवाई व सुरक्षा रिवाई	100	प्रति	4.87	487.00
8	निराई, मुदाई व मॉल्डिंग निराई, मुदाई 3 बार	100x3	प्रति	1.12	312.00
9	रिवाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 12 बार (9x6x25)	100x12	प्रति	2.88	3204.00
10	सांसायनिक उपकरण, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य साहित	0.5	प्रति	600.00	300.00
15	अन्य आदेश व्यय	0.5		1100	550.00
16	पुनरावेषण बाई	1	प्रति	3000	3000.00
17	विभागीय ट्रैक्टर व ट्राली की मरम्मत आदि				1625.00
				योग:-	40300.20
तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम 20 प्रतिषत वीटिंग अप)					
1	रिवाई अपील से जून	80x6		2.88	1281.60
2	पीटिंग अप हेतु मृदा खुदान	20		17.40	348.00
3	पीप कार्य	21		70.00	1470.00
4	पीप दलान	21		17.40	365.40
5	पीपों का स्थानीय दलान	20		5.91	118.20
6	पीपारोपण	20		4.87	97.40
7	निराई कार्य	100x3		1.12	312.00
8	रिवाई कार्य	100x12		2.88	3204.00
9	सांसायनिक/उपकरण खाद	0.5		600.00	300.00
10	तारबाह मरम्मत	1000		0.55	550.00
11	कीटनाशक दवा	1		600.00	600.00
12	अन्य व्यय	0.5		1100	550.00

कात्रीय अधिकारी
मॉट रेन्ज
साठ बा० प्रभाग, मथुरा

प्रमाणित मानकी प्रमाण
18/6/2017

				योग:-	9196.60
चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय 10 प्रतिशत पोष्य लाभ)					
1	पोषी की सिचाई काम अपेक्ष से कम	90x6		2.88	1323
2	असफल मकड़ी का खुदान	10		17.40	22.72
3	पोष्य काम	11		70.00	704
4	पोष्य खुदान	11		17.40	191.4
5	पोषी का स्वतंत्रीय खुदान	10		5.91	48.3
6	रोपण	10		4.87	39.8
7	निराई गुड़ाई	100x3		1.12	312.00
8	सिचाई अक्टूबर से मार्च	100x12		2.88	3204.00
9	मरमात की मरमात	400		0.55	220
10	भारतीय-निक-उत्तरक खाद वन्य	0.5		600	300
11	जीतभाषक दवा काम	1		600	600
12	अन्य व्यय	0.5		525	265.78
				योग:-	7231.00
पंचम चरण (तृतीय अनुरक्षण)					
1	पोषी की सिचाई 12 बार	100x12	प्रति पोष	2.88	3204.00
2	पोषी की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पोष	1.12	312.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525.00	262.50
	योग :-				3778.50
षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुरक्षण)					
1	पोषी की सिचाई 12 बार	100x12	प्रति पोष	2.88	3204.00
2	पोषी की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पोष	1.12	312.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525.00	262.50
	योग :-				3778.50
सप्तम चरण (पंचम अनुरक्षण)					
1	पोषी की सिचाई 12 बार	100x12	प्रति पोष	2.88	3204.00
2	पोषी की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पोष	1.12	312.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525.00	262.50
	योग :-				3778.50
अष्टम चरण (षष्ठम अनुरक्षण)					
1	पोषी की सिचाई 12 बार	100x12	प्रति पोष	2.88	3204.00
2	पोषी की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पोष	1.12	312.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525.00	262.50
	योग :-				3778.50
नवम चरण (सप्तम अनुरक्षण)					
1	पोषी की सिचाई 12 बार	100x12	प्रति पोष	2.88	3204.00
2	पोषी की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पोष	1.12	312.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525.00	262.50
	योग :-				3778.50
दशम चरण (अष्टम अनुरक्षण)					
1	पोषी की सिचाई 12 बार	100x12	प्रति पोष	2.88	3204.00
2	पोषी की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पोष	1.12	312.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525.00	262.50
	योग :-				3778.50
एकादश चरण (नवम अनुरक्षण)					
1	पोषी की सिचाई 12 बार	100x12	प्रति पोष	2.88	3204.00
2	पोषी की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पोष	1.12	312.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525.00	262.50
	योग :-				3778.50
द्वादश चरण (दशम अनुरक्षण)					
1	पोषी की सिचाई 12 बार	100x12	प्रति पोष	2.88	3204.00
2	पोषी की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पोष	1.12	312.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525.00	262.50
	योग :-				3778.50
	कुलयोग :-				163096.49

राष्ट्रीय वन-आधिकारी
महाराष्ट्र
पत्रिका-17

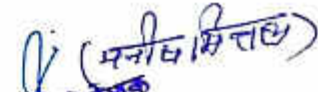
(मन्त्री फिदाउ)
प्रधानीय निदेशक
सामाजिक गानकी प्रभाव
मधुर
- 17/2017

59
12

सारांश			
		वर्तमान दरों के अनुसार धनराशि	भविष्य में कार्य आरम्भ होने के कारण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के आधार पर धनराशि
1	अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य	116440.89	128084.98
2	अनुरक्षण कार्य प्रथम	9196.60	11035.92
3	अनुरक्षण कार्य द्वितीय	7231.00	9400.30
4	अनुरक्षण कार्य तृतीय	3778.50	5289.90
5	अनुरक्षण कार्य चतुर्थ	3778.50	5667.75
6	अनुरक्षण कार्य पंचम	3778.50	6045.60
7	अनुरक्षण कार्य षष्ठम	3778.50	6423.45
8	अनुरक्षण कार्य सप्तम	3778.50	6801.30
9	अनुरक्षण कार्य अष्टम	3778.50	7179.15
10	अनुरक्षण कार्य नवम	3778.50	7557.00
11	अनुरक्षण कार्य दसम	3778.50	7934.85
	योग :-	163096.49	201420.20
		अथवा	201400.00

नोट :- श्रमिक तथा सामग्री दरों में वृद्धि होने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा हरित पट्टी पैटर्न वृक्षारोपणों की सीलिंग दरों में वृद्धि तथा आगामी वर्षों की वृद्धि को समायोजित करते हुए याचक विभाग से प्राक्कलन की धनराशि की मांग की जा रही है जो क्षतिपूरक वनीकरण परियोजना हेतु आवश्यक है।


 क्षेत्रीय वन वन अधिकारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
 माँट रेन्गा
 सा० वा० प्रभाग, पथुरा

प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मथुरा।

 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 11/8/2017